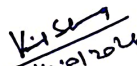
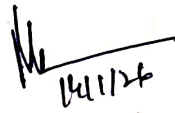


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर
न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर के प्रयोगार्थ विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों/अनुभागों में उपलब्ध खराब प्रिन्टों की मरम्मत कराये जाने हेतु निविदा की नियम व शर्तें

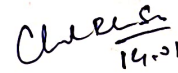
1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय, गोरखपुर स्थित विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों/अनुभागों में उपलब्ध खराब प्रिन्टों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27.01.2026 के सांयकाल 4:00 बजे तक पंजीकृत एवं अधिकृत फर्मों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। नियत तिथि के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत/अधिकृत फर्म, सेल टैक्स व राज्य को जमा किये जाने वाले अन्य करो हेतु पंजीकृत होनी चाहिए।
3. सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक 28.01.2026 को सांयकाल 4:30 बजे समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खुलने के समय फर्म अपने अधिकृत व्यक्ति को भेज सकती है।
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म सभी करो को सम्मिलित करते हुए ही अपना कोटेशन/दर प्रस्तुत करे।
5. निविदा किसी एक या समस्त सामग्रियों की अलग-अलग या एक साथ भी प्रस्तुत की जा सकती है।
6. निविदाएं किसी भी कार्य दिवस पर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में निर्धारित शुल्क रु0 100.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
7. निविदा जमा करते समय फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में मुव0 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा।
8. धरोहर धनराशि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के पैरा 71 के अनुसार राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर के पक्ष में अथवा नगद रूप में केन्द्रीय नजारत में जमा किया जा सकता है।
9. फर्म की निविदा स्वीकृत न होने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि निविदाएं खुलने की तिथि अथवा अगले कार्यदिवस पर सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।
10. निविदाएं किसी भी दशा में दिनांक 27.01.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करवा दी जाय। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा के आवंटित होने के उपरान्त आवंटी फर्म को एक माह के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मात्र जनपद न्यायालय, गोरखपुर का ही होगा।
13. निविदा की नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस पर केन्द्रीय नजारत से अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारी वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur> पर प्राप्त की जा सकती हैं।


(विनोद शर्मा)

सदस्य
नीलामी समिति
लघुवाद न्यायाधीश,
गोरखपुर


(नन्द कुमार)

सदस्य
नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश
कोर्ट सं0-4, गोरखपुर


(चन्द्रमान सिंह)

अध्यक्ष
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश
(अ.जा./ज.जा.अधि.), गोरखपुर


D.T
22.1.26